





11 किसी भी बिड को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा। **RPWA**  
100 की समस्त शर्तें उस सीमा तक मान्य/लागु होगी जिस सीमा तक के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विरोध में नहीं हो।  
12. वित्तविभाग के आदेश संख्या एफ 8(10)एफ.डी./SPFC/Misc/2022दिनांक 27.01.2023 अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- 50.00 लाख रुपये से 100 लाख तक की राशि के कार्यों के लिए 1500/- व 100.00 लाख रुपये से 500 लाख तक की राशि के कार्यों के लिए 2000/- 500 लाख से अधिक राशि के कार्यों के लिए 2500/- रु. की राशि ऑनलाईन SSO ID के माध्यम रूपमें देय होगी। यह राशि मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.आई.एस.एल.के. पक्ष में व जयपुर में ऑनलाईन भुगतान योग्य होना चाहिये।

13. नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।

14. बिड प्रपत्र शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 50 लाख से कम अनुमानित लागत          | रुपये 500  |
| 50 लाख से 150 लाख तक अनुमानित लागत  | रुपये 1000 |
| 150 लाख से 500 लाख तक अनुमानित लागत | रुपये 2000 |
| 500 लाख से अधिक अनुमानित लागत       | रुपये 5000 |

15. ई-बिड के लिए बिडर्स हेतु निर्देश :-

• इन बिड में दिलचस्पी लेने वाले बिडर्स बिड प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> देख/डाउनलोड कर सकते हैं।

• बिड में भाग लेने वाले बिडर्स को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajsathan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन बिड में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट है। इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक बिड में साईन करने हेतु काम आयेगा। बिडर्स उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बिडर्स के पास पूर्व में बैंक डिजिटल सर्टिफिकेट है तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है। बिडर्स को बिड प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

इलेक्ट्रॉनिक बिड प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बिडर्स यह सुनिश्चित कर लेवे की बिड प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बिड प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।

• कोई भी बिड इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।

• बिड के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।

16. बिड राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आर्म्बित की जाती है। उपर अंकित समस्त प्रावधान/बंधन उस सीमा तक ही लागु होंगे जिस सीमा तक वे उस बिन्दु में उल्लेखित अधिनियम एवं नियमों कि विरुद्ध नहीं हों।

17. बिड के साथ अनुलग्नक परिशिष्ट A से D बिन्दु के भाग है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य है।

18. As per the Finance (G&T) Department notification no. Asvina-30 Friday. Saka 1943- October 22,2021 Jaipur. G.S.R.- 364-in exercise of the power conferred by section 55of the Rajasthan Transparency in public Procurement Act. 2012 (Act No. 21 of 2012) the state Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan transparency in public Procurement.

Rules, 2013 namely:-

75A Additional Performance Security (i) In addition to Performance Security as specified in rule 75 an additional Performance security shall also be take from the successful bidder in case of unbalanced bid. The Additional Performance Security shall be equal to fifty percent of unbalanced Bid Amount. The Additional Performance security shall be deposited in lump sum by the successful Bidder before execution of Agreement. The Additional Performance Security shall be deposited Demand Draft. Banker's Cheque, Government Securities or Bank Gurantee.

19. जी-शेडयूल में वर्णित समस्त शर्तों की पूर्ण पालना करनी होगी।

20. संवेदक को ऑनलाईन बिड के साथ संबंधित विभागीय अधिकारी से जारी पीएफ (PF) रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति सलमन करनी आवश्यक होगी। संवेदक/फर्म द्वारा यदि पीएफ (PF) रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होने पर राशि रु. 100/- के स्टाम्प पर पीएफ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होने संबंधी अण्डरटेकिंग दी जानी अनिवार्य रहेगी अन्यथा बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।

21. निदेशक अभियांत्रिकी के आदेश क्रमांक DE-1347 दि. 22.09.2022 के अनुसार कार्य की लागत 50 लाख रुपये से अधिक होने पर संवेदक के पास स्वयं का बिटुमन प्लांट होना आवश्यक है।

अधिराणी अभियंता (जोन पश्चिम)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि वास्ते सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधिराणी अभियंता जोन-पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/उत्तर/मुख्यालय/आर.ओ.बी./विद्युत/पी.एच.ई./जोधपुर विकास प्राधिकरण,जोधपुर।
9. कैशियर/नोटिस बोर्ड।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बिड का प्रकाशन <http://www.eproc.rajsathan.gov.in>, [www.jodhpurida.org](http://www.jodhpurida.org) एवं [www.sppp.rajn.in](http://www.sppp.rajn.in) की वेबसाईड पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे तथा जी शेडयूल अपलोड होने के पश्चात बिड आईडी अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावे।
11. ठेकेदार संघ, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर/जोधपुर ठेकेदार संघ/ऑल राजस्थान कान्फेडर एंसासियेशन/ठेकेदार संघ सिविल जेडीए/पीडब्ल्यूडी ठेकेदार संघ/.....।

Signature valid

Digitally signed by S. S. Mathur  
Designation: Engineer  
Date: 2023.06.27 15:57:25 IST  
Reason: Approved